संख्या–36/2025/3269/26–3–2025–1783885

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 14 फरवरी, 2025

विषयः–अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड–पलिया के ग्रामों में कराये जा रहे विकास कार्यो की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1876/स0क0/विकास/एकीकृत– लखीमपुर खीरी (77)/2024–25, दिनांक–28.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद–लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड–पलिया के ग्राम–बसही कालोनी, बेला कला, पटुआ एवं नगला में कराये गये विकास कार्यो का उपभोग प्रमाण–पत्र, फोटोग्राफ्स, थर्ड पार्टी जांच आख्या एवं भौतिक सत्यापन उपलब्ध कराते हुए अवशेष वांछित धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद–लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड–पलिया के ग्राम–बसही कालोनी, बेलाकला, पटुआ एवं नगला में पिच रोड, इण्टरलांकिग/नाली के निर्माण कार्यो हेतु कुल आंकलित लागत की धनराशि रू0–1804.36 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या–188/2019/70वी0आई0पी0/26–3–2019 दिनांक 21.08.2019 द्वारा धनराशि रू0–200.00 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या–69/2022/001–1334/26–3–2022 दिनांक 30.06.2022 द्वारा धनराशि रू0–300.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, अर्थात उक्त कार्यो के निर्माण हेतु कुल धनराशि रू0–500.00 लाख निर्गत की जा चुकी है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक–4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–10–अतिपिछडे अनुसूचित

जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0–3000.00 लाख (रू0 तीन हजार लाख मात्र) की व्यवस्था से अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद–लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड–पलिया के ग्राम–बसही कालोनी, बेला कला, पटुआ एवं नगला में कराये जा रहे कार्यो के सापेक्ष अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु निम्नलिखित तालिकानुसार अंतिम किश्त के रूप में सम्पूर्ण धनराशि रू0–1304.36 लाख (रूपये तेरह करोड़ चार लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

जनपद-लखीमपुर खीरी। **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र0सं0	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि	अवशेष वांछित धनराशि (रू0 लाख में)	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बसही कालोनी	इण्टरलाकिंग पिच रोड एवं नाली निर्माण का कार्य	472.30	50.00	75.00	125.00	347.30	347.30
2	बेलाकला		459.02	50.00	75.00	125.00	334.02	334.02
3	पटुआ		430.27	50.00	75.00	125.00	305.27	305.27
4	नगला		442.77	50.00	75.00	125.00	317.77	317.77
कुल योग			**1804.36**	**200.00**	**300.00**	**500.00**	**1304.36**	**1304.36**

(1)– प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरण/भुगतान के पूर्व निदेशालय द्वारा अवशेष धनराशि एवं कार्यदायी संस्था के सम्बन्ध में पुष्टि कर ली जायेगी एवं यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–188/2019/70वी0आई0पी0/26–3–2019 दिनांक 21.08.2019 एवं शासनादेश संख्या–69/2022/001–1334/26–3–2022 दिनांक 30.06.2022 का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2)– प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था, निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं जनपदीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष टेण्डर लागत के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3)– परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित

संस्थाओं / विभागों / प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)– प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ–साथ वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–6 के अध्याय–12 के प्रस्तर– 318 में वर्णित व्यवस् थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(5)– अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–1 / 2024 / बी–1–294 / दस–2024–231 / 2024 दिनांक 04–03–2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य / मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि / चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(6)– प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0 एस0 टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी० एस० टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र– जी0 एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से निदेशक समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(7)– यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय–समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों अनुसार किया जायेगा। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–1 / 2024 / बी–1–294 / दस–2024–231 / 2024 दिनांक 04–03–2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग

करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9)– प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई– परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा ।

(10)– परियोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–07/2017/ बी–1–823/दस–2017–एम–04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर–212 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(11)– परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशालय, समाज कल् याण विभाग एवं कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12)– यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति / पुनरावृत्ति न हो और इसके रख–रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(13)– अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) – प्रायोजना में स्वीकृत कार्यों/लागत से विचलन की दशा में वित्त (आय – व्ययक) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–बी–2–2528/दस–2014–10/77 दिनांक 26 अगस्त 2014

में अंकित प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15)– स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16)– प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–3/2017/1067/78–2–2017–42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय–समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(17)– प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(18)– निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे तथा की टेण्डर लागत, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, संविदा से सम्बन्धित मूल (MOU), तकनीकी स्वीकृति आदि अभिलेख कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय धनराशि रू0–13,04,36000/–(रूपये तेरह करोड चार लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–"4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण–24–बृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2024/बी–1–294/दस–2024–231/2024 दिनांक 04–03–2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

Signed by
Rajani Kant Pandey
Date: 14-02-2025 17:10:23

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2– महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

3– निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

4– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5– जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुर खीरी।

6– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।

7– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2,उ0प्र0 शासन।

9 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

10– गार्ड फाइल।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।